

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'छः'

प्रश्न सं. [क. 1356]

परिशिष्ट 2016

सं. 1356
दि. 2.12.16/9-12-16

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

197

क्रमांक एफ 44-12/20-2/2006

भोपाल, दिनांक 25/8/06

प्रति,

आयुक्त,
लोक शिक्षण,
म0प्र0भोपाल ।

विषय:- प्रदेश में नये स्कूल खोलने उन्नयन करने संबंधी मापदण्ड निर्धारण
बाबत ।

-0-

प्रदेश के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नये हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूल
खोलने/उन्नयन किये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड संलग्न है
संलग्न:- परिशिष्ट एक-एवं दो

अथर सचिव

म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 25/8/06

पृ0क0एफ 44-12/20-2/2006

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल
- 2- सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग भोपाल
- 3- सचिव, म0प्र0 शासन, आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भोपाल
- 4- सभस्त संभागीय आयुक्त, म0प्र0
- 5- सभस्त ब्लेक्टर, म0प्र0
- 6- सभस्त संयुक्त संघालक, लोक शिक्षण, म0प्र0
- 7- सभस्त जिला शिक्षा अधिकारी म0प्र0

अथर सचिव

म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

बहुमान्य अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
तक-2

ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिए नये मापदण्ड

(क) हाईस्कूल

अनिवार्यता

1. बसाहट से 5 कि.मी. की परिधि में हाई स्कूल की सुविधा न होना ।
2. पोषक माध्यमिक शालाओं की कक्षा 8वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 80 से कम न होना ।
3. कक्षा 9वीं में संभावित नामांकन न्यूनतम 30 होना ।
4. वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या 2000 होना ।

प्राथमिकता

1. स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है ।
2. रूपये 10 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । (इस राशि में विधायक निधि / सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी ।)

(ख) हायर सेकेंडरी स्कूल के मापदण्ड

अनिवार्यता

1. बसाहट से 8 कि.मी. की परिधि में हायर सेकेंडरी स्कूल की सुविधा न होना ।
2. पोषक हाई स्कूल की कक्षा 10वीं में छात्रों की दर्ज संख्या 100 से कम न होना ।
3. कक्षा 11वीं में संभावित नामांकन न्यूनतम 30 होना । वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या 3000 होना ।

प्राथमिकता

1. स्कूल के लिए न्यूनतम 2 एकड़ जमीन होना । यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है ।
2. रूपये 15 लाख जन सहयोग उपलब्ध होने पर संबंधित स्थान को प्राथमिकता देना । (इस राशि में विधायक निधि / सांसद निधि से प्राप्त राशि भी शामिल होगी तथा यह राशि अधोसंरचना विकास पर व्यय की जाएगी ।)

मुख्य शिक्षा विभाग
शाखा-2

अवर सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

ग्रामीण क्षेत्रों में हाईस्कूल व उच्चतर माध्यमिक शाळा : खोलने हेतु वर्तमान मापदण्ड

क्र.	विवरण	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय			हाई स्कूल		
		वर्तमान मापदण्ड		नये	वर्तमान मापदण्ड	नये	मापदण्ड
		सह शिक्षा शाला	कन्या शाला	सह शिक्षा / कन्या शाला	सह शिक्षा शाला	कन्या शाला	सह शिक्षा / कन्या शाला
1	जनसंख्या	3000	6000	3000	1500	3000	2000
2	इसी प्रकार की विद्यमान शाला से निकटतम दूरी	5 कि.मी.	5 कि.मी.	8 कि.मी.	3 कि.मी.	3 कि.मी.	5 कि.मी.
3	पोषक शालाओं में फीडर कक्षाओं की कुल दर्ज संख्या	100	100	100	80	80	80
4	कालांतर में भवन निर्माण हेतु शासकीय/निजी (दान की) उपलब्ध भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल	2 एकड़ बांछनीय	2 एकड़ बांछनीय	2 एकड़ बांछनीय यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है।	2 एकड़ बांछनीय	2 एकड़ बांछनीय	2 एकड़ बांछनीय यह जमीन शासकीय हो सकती है या निजी दान से प्राप्त की जा सकती है।
5	जनसहयोग	अन्य बर्त समान होने पर जनसहयोग उपलब्ध होने पर किसी स्थान को प्राथमिकता दी जायेगी।					
6	टीप	1. यदि क्षेत्र की शालाओं में कुल दर्ज छात्रा संख्या इतनी हो कि शिक्षक - छात्रा अनुपात 1:45 से अधिक हो गया हो तो दूरी की शर्त लागू नहीं होगी। 2. किसी शर्त विशेष को विशेष परिस्थितियों में शिथिल करने का अधिकार आयुक्त लोक शिक्षण को होगा। 3. शाला की स्थापना करने वाली जनपद पंचायत को यह संकल्प पारित करना होगा कि वह शीघ्र ही विद्यालय के भवन निर्माण की व्यवस्था करेगा। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी तथा माध्यमिक विद्यालय भवन हेतु विभाग से तथा प्राथमिक / कनिष्ठ विद्यालय हेतु जनसहयोग रा.को. आदि के यन्त्र से वित्तीय व्यवस्था की जायेगी।					

कर्मचारी अधिकारी
कर्मचारी शिक्षा विभाग
बाला-3

अ.क.